विचार बिन्दु

आतंक का जन्म असंतोष से होता है असमानता से इसे हवा मिलती है और यह अपनी आग में हज़ारों को लेकर जल मरता है। –मुक्ता

ट्रान्सफॉर्मेटिंव ट्यूजडे स्कूल बच्चों को साइबर अपराधों सहित शोषण से बचाने की अभिनव पहल

स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकारों की जानकारी, मौलिक दायित्वों से अवगत कराने और शारीरिक, मानसिक, यौन व भावनात्मक शोषण से बचाने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत अनूठा अभियान ट्रान्सफॉर्मेटिंव ट्यूजडे एक सकारात्मक सोच का परिणम है। राजस्थान के स्कलों में यह कार्यक्रम 7 अप्रेल से आंरभ हो गया है। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के करीब 1400 न्यायिक अधिकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षित करेंगे। यह कार्यक्रम इस मायने में अनूठा हो जाता है कि स्कूल या अन्य स्थान तो दूर की बात है बच्चें घर में भी शोषित हुए देखे जा सकते हैं। इससे बालमन प्रभावित होता है और जिस तरह से बच्चों का समग्र विकास होना चाहिए वह कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की माने तो 5 से 12 साल के बच्चे शारीरिक, भावनात्मक यहां तक कि यौन शोषण के आसानी से शिकार हो जाते हैं। बालमन को देखते हुए ही उपभोक्ता सामग्री के विज्ञापनों के केन्द्र में बच्चों को आसानी से देखा जा सकता है। इसी तरह से कोविड के बाद के दौर में जिस तरह से ऑनलाइन कक्षाओं का दौर चला है उससे बच्चों की मोबाइल फोन तक आसान पहुंच हो गई है। यही कारण है कि बच्चे साइबर बुलिंग सहित साइबर फ्राड और वीडियो गेम्स के चक्कर में सहज शिकार हो रहे हैं। वीडियो गेम्स के चक्कर में बच्चों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव आज चिंता का विषय हो गया है। साइबर फ्राड से तो क्या बच्चे और क्या बड़े सभी आसान शिकार हो रहे हैं।

ट्रान्सफॉर्मेटिंव ट्यूजडे अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाया जा रहा है। न्यायिक अधिकारी 8 वीं से 12 वीं कक्षा के बच्चों को उनके स्कूलों में जाकर अवेयर करेंगे। कोर्ट वाली दीदी या कोर्ट वाले भैया के नाम से इनकी स्कूलों में पहचान होने लगी हैं वहीं स्कूलों में कोर्ट वाली दीदी के नाम से शिकायत बॉक्स भी रखवाया जा रहा है जिसमें कोई भी बच्चा अपनी शिकायत को लिख कर डाल सकते हैं। खास बात यह है कि बच्चों की यह शिकायत गोपनीय होगी और इस पर कार्रवाई भी जिला विधिक सेवा सेवा प्राधिकरण डाल्सा द्वारा ही की जा सकेगी।

> **राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की इस पहल को स्कूलों व समाज को हाथों हाथ लेना चाहिए क्योंकि इससे कोमल मन को नई दिशा मिलेगी और सशक्तीकरण हो सकेगा। इस तरह के प्रयास एक बार होकर ही नहीं रह जाने चाहिए अपितु यह सालाना कार्यक्रम होना चाहिए। केन्द्र सरकार, राज्यों की सरकारें और केन्द्र व राज्यों को विधिक प्राधिकरणों को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि भावी पीढी को सशक्त किया जा सके।**

आज देश–दुनिया के लोग साइबर अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। साइबर बूलिंग, आनलाइन फ्राड, ओटीपी स्कैम, वीडियो गेम्स के टास्क और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों द्वारा साइबर अपराधियों द्वारा बच्चों सहित आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। टास्क पूरे करने के चक्कर में बच्चे मानसिक तनाव व कुंठा के शिकार हो रहे है तो खाना–पीना, सोना तक भूलने लगे हैं। इसके अलावा साइबर अपराधियों में कई तत्व ऐसे भी है जो डराने–धमकाने और भ्रमित जानकारी देकर बरगलाने का प्रयास करते हैं।

झूठी जानकारी देकर बच्चों को तनाव में लाने, उनसे पैसे एंठने और गलत कार्य कराने तक को बाध्य करने में किसी तरह का संकोच नहीं करते हैं। इसी तरह से स्कूल में दादा किस्म के बच्चे भी अन्य बच्चों को शिकार बना लेते हैं तो स्कूलों में बालिकाओं से अनुचित व अशोभनीय व्यवहार के समाचार भी आम होते जा रहे हैं। यहां तक कि घर और बाहर व स्कूल तक में कई बार तो बालिकाएं सुरक्षित महसूस नही कर पाती और डर, प्रलोभन या अन्य कारणों से सहज शिकार हो जाती है। ऐसे में ट्रान्सफॉर्मेटिंव ट्यूजडे जागरुकता अभियान सकारात्मक पहल मानी जानी चाहिए।

सबसे खास बात यह है कि कोर्ट वाली दीदी या कोर्ट वाले भैया नामकरण ही बच्चों से सीधे जुड़ाव का संदेश देता है। राल्सा की यह पहल और करीब 1400 न्यायिक अधिकारियों को इससे जोड़ने से बालमन में ताजा हवा का झोंका आएगा। बच्चे अपने न्यायिक अधिकारों को जानने के साथ ही अनावश्यक तत्वों के शिकार बनने से बच सकेंगे। अपनी बात बड़े ही गोपनीय तरीके से कोर्ट वाली दीदी बॉक्स के माध्यम से पहुचा सकेंगे। क्योंकि खुलकर सामने आने के स्थान पर अपनी समस्या को लिखकर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस अभियान की खास बात यह है कि यह स्कूली बच्चों से जुड़ी संभावित सभी समस्याओं को लेकर है और इससे बालमन पर नकारात्मक असर ड़ालने वाले कारकों पर अंकुश लग सकेगा।

बच्चा मानसिक तनाव के दौर से नहीं गुजरेगा और जानकारी का परिणाम यह होगा कि बच्चों में आत्मविश्वास जागृत होगा। इस सबके साथ ही बच्चों को किसी भी माध्यम से सहज शिकार बनाने वालों के प्रति बच्चों में सजगता आयेगी और आसानी से शिकार नहीं हो सकेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की इस पहल को स्कूलों व समाज को हाथों हाथ लेना चाहिए क्योंकि इससे कोमल मन को नई दिशा मिलेगी और सशक्तीकरण हो सकेगा। इस तरह के प्रयास एक बार होकर ही नहीं रह जाने चाहिए अपितु यह सालाना कार्यक्रम होना चाहिए। केन्द्र सरकार, राज्यों की सरकारें और केन्द्र व राज्यों को विधिक प्राधिकरणों को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि भावी पीढी को सशक्त किया जा सके।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल शुक्रवार 17 अप्रैल, 2026

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शुक्रवार, विक्रम संवत 2083, रेवती नक्षत्र दिन 12:02 तक, वैधृति योग प्रातः 7:12 तक, चतुष्पद करण प्रातः 6:47 तक, चन्द्रमा आज दिन 12:02 से मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य–मेष, चन्द्रमा–मीन, मंगल–मीन, बुध–मीन, गुरू–मिथुन, शुक्र–मेष, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 12:02 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सम्पूर्ण दिन–रात रहेगा। कुमार योग सायं 5:22 से सूर्योदय तक है। आज देवपितृकार्य अमावस्या, श्री शुकदेव जयन्ती, वैधृति पूण्य है। पंचक दिन 12:02 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:40 तक, लाभ–अमृत 7:40 से 10:31 तक, शुभ 12:26 से 2:02 तक, शुभ 5:12 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:05, सूर्यास्त 6:48

मेष

घर–परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव दूर होगा।

वृष

आर्थिक/वित्तिय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

सिंह

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कन्या

अपने अति आवश्यक महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

तुला

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त–व्यस्त कार्य में सुधार होगा। परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

घर–परिवार में वाद–विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त–व्यस्त हो सकती है।

मकर

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज भाई–बंधुओं और परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। घर–परिवार में रचनात्मक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

नारी वंदन अधिनियम

सांस्कृतिक मूल्यों और आधुनिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का अभूतपूर्व संगम

भजनलाल शर्मा

भारतीय सभ्यता के सुदीर्घ इतिहास में नारी शक्ति, सृजन और चेतना का शाश्वत केंद्र रही है। हमारी महान सनातन संस्कृति ने "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:" के उद्घोष के साथ युगों पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी गरिमा अक्षुण्ण रहती है, वहीं देवत्व और समृद्धि का वास होता है। नारी को परिवार की धुरी, संस्कारों की संवाहक और समाज की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति के रूप में सदैव प्रतिष्ठा मिली है।

आज भारत एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। यह लक्ष्य नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा है। इसी भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ।

यह अधिनियम भारत के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों और आधुनिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का एक अभूतपूर्व संगम है। हमारी महान सनातन संस्कृति में नारी को सम्मान के साथ सृजन और शक्ति का मूल आधार माना गया है।

इतिहास साक्षी है कि हमारी प्रगति में नारी शक्ति की निर्णायक भूमिका रही है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, जीजाबाई की दूरदर्शिता, सावित्रीबाई फुले का सामाजिक सुधार और आधुनिक भारत में कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा आदि उदाहरण से स्पष्ट होता है कि भारतीय नारी प्रेरणा के साथ परिवर्तन की अग्रदूत रही है। लंबे समय से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14-15 प्रतिशत तक ही सीमित रही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस कानून में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। आरक्षित सीटों में एक–तिहाई हिस्सेदारी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। प्रतिनिधित्व का यह विस्तार नीति–निर्माण में महिलाओं की दृष्टि और संवेदनशीलता को शामिल करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

प्रधानमंत्री जी की पहल पर अब इस ऐतिहासिक कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र नारी वंदन अधिनियम को वर्ष 2029 के आम चुनावों से लागू करने की ठोस रणनीति का हिस्सा है। इस विशेष सत्र में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग व्यावहारिक रूप से प्रशस्त किया जायेगा।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में गत वर्षों के दौरान मोदीजी के सशक्त नेतृत्व में अनेक योजनाओं को श्रीगणेश कर उन्हें क्रियान्वित किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाना, करोड़ों गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और मातृ मृत्यु दर में कमी आदि प्रयास महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड–अप इंडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ा गया है और इससे वे आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे रही हैं।

सामाजिक गरिमा और सुविधा के स्तर पर भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई, स्वच्छ भारत मिशन ने शौचालय निर्माण के माध्यम से उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया और जल जीवन मिशन ने घर–घर नल से जल पहुंचाकर उनके श्रम को कम किया है। महिला सशक्तिकरण को जीवन के प्रत्येक पहलू से जोड़कर देखा गया है।

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान ने समाज की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि इस परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आज देश में पहली बार लिंग अनुपात का बेहतर होना इस बात का संकेत है कि समाज धीरे–धीरे संतुलित और संवेदनशील दिशा में आगे बढ़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए भी कई ठोस कदम उठाए गए हैं। 'मिशन शक्ति', वन–स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन जैसी पहलें महिलाओं को सुरक्षा और आत्मविश्वास का वातावरण प्रदान कर रही हैं। तीन तलाक जैसी कुप्रथा का उन्मूलन महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार रहा है।

नारी वंदन की इस राष्ट्रव्यापी लहर के दौरान राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बजट 2026–27 में कई दूरगामी प्रावधान किए हैं। प्रदेश में महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए 'लखपति दीदी' योजना गेम–चेंजर साबित हुई है। इसमें 20 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। अब इस योजना के तहत ब्याज अनुदान पर दिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया है। बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया गया है और इससे अब तक 6.5 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। शिक्षा सेतु योजना के माध्यम से 1.76 लाख से अधिक उन महिलाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ा गया है। प्रदेश की गर्भवती महिलाओं के लिए मा वाउचर योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा से अब तक 4 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। महिला सशक्तिकरण की पहली शर्त भयमुक्त वातावरण है। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कठोर कदम उठाए हैं। राज्य में कुल महिला अपराधों में वर्ष 2023 की तुलना में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए

प्रदेश में 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। छेड़छाड़ और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया है।

आज महिलाएं केवल घर–परिवार तक सीमित नहीं हैं। वे सेना में देश की रक्षा कर रही हैं, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं और उद्यमिता में भी अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी समान अवसर मिले। नारी वंदन अधिनियम इसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह कानून महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान के साथ ही लोकतंत्र को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावी बनाने का माध्यम है। विशेष संसद सत्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहल है।

नारी सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त है। जब नारी सशक्त होगी, तभी परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और राष्ट्र सशक्त होगा। सनातन मूल्यों से प्रेरित यह यात्रा अब आधुनिक लोकतंत्र के साथ मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रही है, जहां नारी नेतृत्वकर्ता के रूप में भी स्थापित होगी।

–भजनलाल शर्मा,
मुख्यमंत्री, राजस्थान

नारी शक्ति वंदन से नव भारत उदय

डॉ. सतीश पूनियां

संसद का यह विशेष सत्र भारतीय संसद के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। संसद का यह विशेष सत्र भारतीय जनता पार्टी की देश की आधी आबादी को उनका वांछित अधिकार दिलाने की मंशा और इच्छाशक्ति का भी सत्र है। गुरुवार को संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र–शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026 सदन में प्रस्तुत किए गए। 131 वें संशोधन के माध्यम से विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश और दुनिया ने यह अनुभव किया है कि भारत में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तौर पर सशक्त किया गया है। इसके लिए महिला आधारित अनेक योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। महिलाओं को राजनैतिक तौर पर सशक्त करने की उसी मंशा के अनुरूप मोदी सरकार विधानसभा और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से महिला आरक्षण के प्रावधान को शीघ्र लागू करने की दिशा में पहल की है। भारत पुरातन प्रवाह का राष्ट्र है। एक विशिष्ट इतिहास, संस्कृति और विरासत के कारण विश्व में एक पहचान वाला राष्ट्र है। जहां भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक भिन्नताएं होते हुए भी 'अनेकता में एकता' ऐसा दृश्य परिलक्षित होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आधुनिक युग में लोकतांत्रिक व्यवस्था की अक्षुण्णता के लिए भी माना जाता है। आज विश्व के मानचित्र पर भारत की एक आत्मनिर्भर स्वाभिमानी राष्ट्र की पहचान है।

भारत के लोकतंत्र को दृढ़ता भारत के संविधान ने दी है जो एक वैशिष्ट्य लिए हुए है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों में बखूबी उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में प्रदत समानता के अधिकारों ने इसे और पुष्ट किया है, इसलिए लैंगिक समानता के अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह उत्कंठा हमेशा रही है कि गार्गी, मैत्रेयी के पुरातन परंपरा के देश में महिलाओं यानि आधी आबादी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले ताकि शासन में, निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही नारी के उत्थान और उत्कर्ष में पूर्वक अपना योगदान दे सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं को उनका वांछित अधिकार दिलाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उसके नेतृत्व की महिलाओं के प्रति संवेदनशील नीति का ही आईना है। भारतीय जनसंघ और भाजपा के वैचारिक स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत में समाज को एक जीवंत इकाई के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार, समाज के प्रत्येक अंग का सशक्त होना आवश्यक है और नारी इसमें केंद्रीय भूमिका निभाती है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुरुष और स्त्री परस्पर पूरक हैं। किसी एक की उपेक्षा राष्ट्र को कमजोर बना देती है। यह दर्शन आज मोदी सरकार की नीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ महिला सशक्तिकरण को केवल सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान का आधार माना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाने का साहसिक प्रयास किया, भले ही वह उस समय राजनीतिक बाधाओं के कारण सफल नहीं हो सका।

हमने ऐसा समय भी देखा था जब देश की लाखों करोड़ों महिलाओं ने बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। महिलाएं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी ही नहीं थी, तो उन्हें बैंकिंग का लाभ कैसे मिलता। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनधन योजना शुरू हुई तो देश की 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले। आज देश की बेटियां नए–नए बिजनेस में अपनी पहचान बना रही हैं। मुद्रा योजना में 60 प्रतिशत से ज्यादा लोन महिलाओं ने लिए हैं। देश की स्टार्टअप क्रांति को भी महिलाएं लीड कर रही हैं। आज 42 प्रतिशत से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। यह हमारे लिए, देश के लिए और देश की आधी आबादी के लिए गौरव की बात है कि इस समय हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री जैसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही हैं। उन्होंने देश की गरिमा और गौरव, दोनों को बढ़ाया है।

साल 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। खासकर, हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उसी संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो ठोस कदम उठाए गए हैं, उन्होंने समाज की संरचना को बदलने का कार्य किया है। फिर चाहे वह सम्मानजनक जीवन जीने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण की बात हो, या फिर 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के माध्यम से महिलाओं को धुएँ से मुक्ति दिलाने का प्रयास हो। यह योजनाएँ केवल सुविधाएँ नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी बनाने के साधन हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के मोर्चे पर भी मोदी सरकार लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। जन–धन खातों, स्वयं सहायता समूहों और मुद्रा योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। आज ग्रामीण भारत में लाखों महिलाएँ उद्यमिता की ओर अग्रसर हैं। लखपति दीदी के माध्यम से मोदी सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता में आगे बढ़ाने का काम किया है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान के माध्यम से महिलाओं के प्रति समाज की सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया। इस अभियान से निश्चित रूप से सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन आया है। इसका परिणाम भी हमें पिछले दस–ग्यारह वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला है। खेल, विज्ञान, शिक्षा, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में देश की महिलाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण तो मिला, लेकिन लंबे समय तक 'सरपंच पति' जैसी प्रवृत्तियाँ इस व्यवस्था को कमजोर करती रहीं।

मोदी सरकार ने 'सशक्त पंचायत–नेत्री अभियान' के माध्यम से इस प्रवृत्ति को चुनौती दी है। सशक्त पंचायत – नेत्री अभियान जैसी महत्वपूर्ण पहल से पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त किया गया। 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली में 'सशक्त पंचायत–नेत्री अभियान' का शुभारंभ किया गया। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व को सुदृढ़ बनाने के ये प्रयास इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि आरक्षण और संस्थागत सहयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक संरचनाओं में वास्तविक परिवर्तन संभव है। हमन देखा कि सालभर पहले देश की सीमा पर सेना द्वारा चलाए गए आपरेशन सिंदूर में भी देश की जाबांज महिला सैनिकों ने अपने हौसलों से शत्रु को घुटने टेकने पर विवश कर दिया था। सीमा की सुरक्षा में देश की नारी शक्ति पूरी ताकत से जुटी हुई है। भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, फाइटर पायलट्स की नियुक्ति और सामरिक निर्णयों में उनकी भूमिका यह दर्शाती है कि नारी शक्ति अब हर क्षेत्र में अग्रणी है। 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अभियानों ने यह सिद्ध किया है कि नारी केवल करुणा का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस और रणनीति की भी धुरी है। वर्षों की जड़ता और संघर्ष तथा विमर्श के बाद मोदी सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक उल्लेखनीय, ऐतिहासिक एवं स्तुत्य कदम है। 2029 तक संसद और विधानसभाओं में में 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व का लक्ष्य भारत को न केवल एक आर्थिक शक्ति, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समावेशी लोकतंत्र के रूप में स्थापित करेगा।

–डॉ. सतीश पूनियां,
(लेखक– भाजपा हरियाणा प्रभारी तथा राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष)

गुमशुदा की तलाश: प्रिय शिक्षा

प्रो. अशोक कुमार

आज सुबह जब मैंने अखबार खोला, तो लगा कि शायद किसी बड़े अपराधी या किसी खोए हुए मासूम की तलाश के लिए इश्तहार होगा। लेकिन गौर से देखा तो पाया कि दरअसल वह तो उच्च शिक्षा का हुलिया था। शिक्षा, जो कभी मंदिरों और गुरुकुलों की पवित्रता से निकलकर हमारे सरकारी महाविद्यालयों के गलियारों में गूँजती थी, आज वह किसी वॉन्टेड अपराधी की तरह लापता है।

प्रिय शिक्षा, तुम्हारा नया पता क्या है? सुना है अब तुम साधारण डाक से नहीं मिलतीं, बल्कि रजिस्टर्ड कॉरपोरेट कूरियर बन गई हो। तुम्हारा नया स्थायी पता अब सरकारी महाविद्यालयों के वे टूटे हुए बेंच नहीं, बल्कि उन निजी विश्वविद्यालयों के शीशमहल हैं, जहाँ घुसते ही इंसान को अपने ज्ञान से ज्यादा अपनी जेब की गहराई का अहसास होता है। वहाँ तुम वातानुकूलित कमरों में बड़े करीने से सजाकर रखी गई हो।

लेकिन डर यह है कि कहीं तुम वहाँ केवल एक डेकोरेटिव पीस तो नहीं बन गई? या फिर तुम उन कोचिंग संस्थानों की तंग और अंधेरी गलियों में कैद हो गई हो? जहाँ तुम्हें सफलता के छोटे–छोटे पैकेटों में बंद किया जाता है और भारी किस्तों पर नीलाम किया जाता है। वहाँ तुम्हें पाने के लिए जिज्ञासा की नहीं, बल्कि बैंक बैलेंस की जरूरत होती है। तुमने अपना सरकारी चोला कब उतारकर यह महंगा कॉरपोरेट सूट पहन लिया, हमें पता ही नहीं चला। सरकारी महाविद्यालयों के बरामदे आज भी तुम्हें पुकारते हैं, लेकिन वहाँ तुम्हारी आहट कम और मकड़ियों के जाले ज्यादा मिलते हैं। उन कमरों में जहाँ कभी तर्क–वितर्क की धारा बहती थी, आज सिर्फ पुरानी फाइलों पर जमी धूल और व्यवस्था की लाचारी का साम्राज्य है।

छात्रों का वनवास: महाविद्यालयों में छात्र अब पढ़ने नहीं आते, बल्कि वे एक अदृश्य उपस्थिति का हिस्सा हैं। वे आते हैं सिर्फ परीक्षा फॉर्म भरने, छात्रवृत्ति का जुगाड़ करने या फिर राजनीति के अखाड़े में हाथ आज़माने। उन्हें अच्छी तरह पता है कि कक्षाओं में तुम नहीं, बल्कि मकड़ियाँ उनका स्वागत करेंगी। उनके लिए शिक्षा अब एक ज्ञानार्जन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा यानी डिठी पाने का जरिया है।

शिक्षकों का अकाल और फाइल–पूजा: हमने गुरु बिन भवन सूना की कहावत को बड़ी शिद्दत से सच कर दिखाया है। सालों से नियुक्तियाँ प्रक्रिया के नाम पर फाइलों में दफन हैं। जो इक्का–दुक्का बचे–खुचे शिक्षक हैं, उन्हें हमने इतना बहुमुखी बना दिया है कि वे पढ़ाने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं– चाहे वह जनगणना हो, चुनाव ड्यूटी हो या फिर स्मार्ट क्लास के नाम पर कागज़ी घोड़े दौड़ाना। बेचारे शिक्षक तुम्हें किताबों में नहीं, बल्कि एम.आईएस. पोर्टल के पासवर्ड में ढूँढ रहे हैं। **स्टेकहोल्डर्स की कुंभकर्णी नींद:** कुलपति से लेकर नीति–निर्माताओं तक, जो तुम्हारे रक्षक और संवर्धक होने चाहिए थे, वे अब मैनेजर की भूमिका में अधिक सहज हैं। वे स्मार्ट क्लास के ऑडिट सिस्टम और रैंकिंग के आंकड़ों में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि शिक्षा इंसानों के लिए होती है, एक्सेल शीट्स के लिए नहीं। उनकी चुप्पी साजिशन नहीं, बल्कि सुविधापूर्ण है।

आखिर सिस्टम को सुलाने में ही तो शांति है ! प्रिय शिक्षा, क्या तुम्हें याद है जब तुम प्रकाश हुआ करती थी? आज तुम एक उत्पाद बन गई हो। बाज़ार ने तुम्हें इतनी खूबसूरती से पैकेज किया है कि तुम्हारी आत्मा कहीं खो गई है। इस शिक्षा प्रदूषण ने हमारे बौद्धिक वातावरण को इतना ज़हरीला बना दिया है कि अब यहाँ मेधा नहीं, बल्कि मैनेजमेंट जीतता है। निजी संस्थानों की ऊँची इमारतें और चमकते हुए विज्ञापन शायद तुम्हारी शान को बढ़ाते होंगे, लेकिन उन सरकारी स्कूलों की टपकती छतों और खाली ब्लैकबोड्र्स का क्या, जहाँ देश का भविष्य आज भी तुम्हें फटे हुए बस्ते में ढूँढ रहा है? क्या तुमने अपनी पहुँच केवल उन तक सीमित कर ली है जिनके पास प्रवेश शुल्क के साथ सुविधा शुल्क देने की सामर्थ्य है? यह एक व्यंग्य नहीं, बल्कि उन हज़ारों आँखों की पुकार है जो आज भी सरकारी कॉलेजों की देहरी पर खड़ी होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। वे गरीब छात्र, जो बड़े–बड़े कोचिंगों की ईएमआई नहीं चुका सकते, उन्हें आज भी तुम्हारी जरूरत है।

प्रिय शिक्षा, इन स्टेकहोल्डर्स के मौन को अपनी सक्रियता से तोड़ दो। फाइलों की धूल झाड़ो और फिर से उन कक्षाओं में वापस आओ जहाँ तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे पहले कि तुम पूरी तरह से एक ब्रांड बन जाओ और आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाओ, वापस एक संस्कार और शक्ति बनकर लौट आओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में, आज भी वह पुराना ब्लैकबोर्ड खड़ा है जिसे वर्षों से किसी चाक ने नहीं छुआ और वह छात्र खड़ा है जिसकी आँखों में अब भी उम्मीद का एक दीया जल रहा है। आ जाओ, कि तुम्हें ढूँढते–ढूँढते हमारी एक पूरी पीढ़ी डिग्रीधारी अनपढ़ न बन जाए।

–प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय